सकता है।

**17.** A decision given by a Court in ignorance of a decision of a higher Tribunal which is clearly inconsistent with it has no binding force. This rule was stated in Young's case. A Court is not bound by those of its earlier decisions which are in conflict with one another. This rule applies to all English Courts. This rule is followed in India also. So far as the lower Courts are concerned; they are free to choose any of the conflicting decisions of the Superior Court.

अनुवाद—किसी न्यायालय द्वारा दिया गया कोई विनिश्चय जो किसी उच्चतर अधिकरण के ऐसे विनिश्चय की अनभिज्ञता में दिया गया है जो उससे स्पष्टत: असंगत है, कोई आबद्धकर बल नहीं रखता है। यह नियम यंग के मामले में कथित किया गया था। कोई न्यायालय अपने उन पूर्ववर्ती विनिश्चयों द्वारा बाध्य नहीं होता जो एक-दूसरे के विरोध में हैं। यह नियम सारे अँग्रेजी न्यायालयों में लागू होता है। इस नियम का भारत में भी अनुसरण किया जाता है। जहाँ तक अवर न्यायालयों का सरोकार है वे उच्चतर न्यायालय के परस्पर विरोधी विनिश्चयों में से किसी एक का चयन करने के लिये स्वतन्त्र होते है।

**18.** To develop in any field, discipline is as essential and important as knowledge. An indisciplined nation does not live long. Problem of indiscipline is a burning problem before India which can by no means be ignored. Naturally, it becomes quite essential for the students that not only they themselves should become disciplined but also inspire others to do so. It cannot be done in a day. It requires constant practice. We love our mother land, and in the name of that love we must try to maintain disciplene if we want to serve our motherland. We should help the Government, officials and the society in this work.

अनुवाद—किसी भी क्षेत्र में उन्नति के लिये अनुशासन उतना ही आवश्यक और अनिवार्य है जितना बौद्धिक ज्ञान। अनुशासनहीन राष्ट्र जीवित नहीं रहता। भारत के समक्ष अनुशासन एक ज्वलन्त समस्या है जिसकी उपेक्षा की ही नहीं जा सकती। स्वभावत: विद्यार्थियों के लिये यह परमावश्यक हो जाता है कि न केवल स्वयं ही पूर्ण अनुशासित हों वरन दूसरों को भी अनुशासित होने के लिये प्रेरित करें। यह एक दिन का अथवा चुटकियों में हो जाने वाला काम नहीं है। इसके लिये निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता है। हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम है अत: उसी प्रेम के नाम पर हमें अपनी मातृभूमि की सेवा के लिये अनुशासन बनाये रखना चाहिए। उन्हें इस कार्य से शासन, समाज और सरकार को सहयोग देना चाहिए।